(30)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

---

निगरानी 3155–एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 28.07.16 पारित द्वारा तहसीलदार अजयगढ़ प्रकरण कमांक 1/अ–12/2015–16

---

दीपक पुत्र श्री रामऔतार तिवारी
निवासी – किशनपुर तह0 अजयगढ़ जि. पन्ना (म.प्र.) .....आवेदक

**विरुद्ध**

1. रामबाबू पुत्र श्री रामगोपाल
   निवासी लोलासा तह0 अजयगढ़ जि. पन्ना (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला पन्ना (म.प्र.) .....अनावेदकगण

---

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा

---

## आदेश

( आज दिनांक 07/12/17.....को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार अजयगढ़ के प्रकरण कमांक 1/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक राजाबाबू द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने स्वामित्व की ग्राम किशनपुर पटवारी हल्का नंबर 25 सर्वे नंबर 238/1/क/3 रकबा 0.30 हैक्टर भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पेश किया ।

उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को सीमांकन करने हेतु आदेश जारी किया । तदुपरांत तहसीलदार ने सीमांकन की कार्यवाही प्रारंभ की एवं दिनांक 10–6–16 को इस आशय का प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया कि आवेदक दीपक एवं एक अन्य कमलेश कुमार का आवेदित आराजी के सड़क किनारे कब्जाकर नींच भरी पाई जाने तथा पक्षकारों द्वारा शासकीय अधिकारियों से अभ्रद व्यवहार किए जाने के कारण घटना स्थल पर अप्रिय घटना घटित हो सकती थी यह उल्लेख करते हुए सीमांकन नहीं किए जाने की बात कही गई । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 20.6.16 को प्रकरण कोई कार्यवाही होना शेष न मानते हुए समाप्त किए जाने के आदेश दिए हैं ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत अवैध एवं अनुचित है क्योंकि आवेदक को बिना सुनवाई एवं साक्ष्य के नक्शा तरमीम का आदेश पारित किया गया है। यह कहा गया कि नक्शा तरमीम की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से की गई है । आवेदक को प्रकरण में ना तो पक्षकार बनाया गया है और ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया है । आवेदक ने विवादित भूमि आराजी नं. 238 जुज रकबा 0.018 आरे पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है ऐसी स्थिति में आवेदक को सुना जाना चाहिए था। तहसीलदार को नक्शा तरमीम करने की अधिकारिता नहीं है।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य प्रकरण में दिनांक 28.7.16 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया है बल्कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसमें सीमंकन न किए जाने की बात कही गई है के आधार पर प्रकरण समाप्त किया गया है ।

5/ उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार के अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि अनावेदक क. 1 द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर से राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन

की कार्यवाही प्रारंभ की गई परंतु आवेदक एवं अन्य द्वारा आपत्ति किए जाने पर पक्षकारों को सहमति बनाने के लिए एक दिन का समय दिया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा जो प्रतिवेदन दिनांक 10–7–16 को तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया है उसमें उन्होंने आवेदक दीपक एवं एक अन्य कमलेश कुमार का आवेदित आराजी के सड़क किनारे कब्जाकर नींच भरी पाई जाने तथा पक्षकारों द्वारा शासकीय अधिकारियों से अभ्रद व्यवहार किए जाने के कारण घटना स्थल पर अप्रिय घटना घटित हो सकती थी यह उल्लेख करते हुए सीमांकन नहीं किए जाने की बात कही गई है । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 20.6.16 को प्रकरण कोई कार्यवाही होना शेष न मानते हुए समाप्त किए जाने के आदेश दिए हैं । आवेदक ने तहसीलदार, अजचयगढ़ के जिस आदेश दिनांक 28–7–16 के आदेश के विरूद्ध निगरानी पेश की गई है तहसीलदार के अभिलेख में उक्त दिनांक का कोई आदेश नहीं है । तहसीलदार के अभिलेख में दिनांक 28–7–16 का नक्शा तरमीम किए जाने संबंधी भी कोई आदेश नहीं है । ऐसी स्थिति में इस निगरानी को चलाए रखने का कोई औचित्य नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर